राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांकः एफ. (ISSNIP) (06)\ILA\2014\ 122739-757 जयपुर, दिनांक 20.9.16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिलाः अजमेर / अलवर / बारां / बाड़मेर / चित्तौडगढ / चूरू / दौसा
धौलपुर / डूँगरपुर / जयपुर / झुन्झनूं / जोधपुर / करौली / कोटा
राजसमन्द / स. माधोपुर / सिरोही / टोंक / उदयपुर।

विषयः— समेकित बाल विकास सेवायें एवं विश्व बैंक पोषित ISSNIP अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की अनुपस्थिति के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समेकित बाल विकास सेवायें एवं विश्व बैंक पोषित ISSNIP परियोजना अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उच्च स्तर से नामाकंन किये जाने के उपरान्त भी प्रतिभागियों की उपस्थिति कम देखी गई है, जिसे विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है। लेख है कि विभागीय गतिविधियों के सुगम सचांलन एवं ISSNIP परियोजना के उददेश्यों को प्राप्त करने हेतु समेकित बाल विकास सेवायें अन्तर्गत कार्यरत्त कार्मिकों की क्षमता वृद्वि बाबत् विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर काफी अधिक मात्रा में राशि व्यय की जाती है।

इस हेतु सभी सम्बन्धित उपनिदेशकों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों को समय से कार्यमुक्त कर विभागीय / परियोजना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान किसी भी कार्मिक को बिना अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पूर्वानुमति के अवकाश देय नहीं होगा।

आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरूद्व विभागीय / अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. (ISSNIP) (06)\ILA\2014\ 122758-123069 जयपुर, दिनांक 20.9.16
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, निदेशालय, जयपुर एवं राज्य परियोजना निदेशक ISSNIP राजस्थान।
4. अतिरिक्त निदेशक (पोषा.) / वित्तीय सलाहकार / जे.पी.सी.– I, मुख्यालय।
5. उप निदेशक, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सम्बन्धित समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परियोजना समन्वयक– II
ISSNIP

ILA Letters